



Policy

SS

कार्यालय-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड  
(फार्म-अनुभाग )

देहरादून: दिनांक 26 जून, 2008 900  
19-708

विज्ञप्ति

कमिश्नर बिक्रीकर (उत्तराखण्ड) नियमावली-2006 के नियम-8 के उपनियम-13 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग 'करके' में आयुक्त कर, उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित "फार्म-सी" जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्मस के प्रयोग को अवैध घोषित करता हूँ ।

क्र० सं०	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज/क्रमांक
1.	सर्वश्री अन्नु ट्रेडिंग कम्पनी मैन बाजार, लक्सर-जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)	फार्म-सी-05	U.K.VAT/C-2007-034624, 034625, 034626, 034627, 034628
2.	सर्वश्री भारत ट्रेक्टर्स, काशीपुर-जिला उधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड)	फार्म-सी-02	U.K.VAT/C-2007-012381, 012382
3.	सर्वश्री रुद्रपुर साल्वेन्ट प्रा० लि०, किच्छा रोड, रुद्रपुर (उत्तराखण्ड)	फार्म-सी-01	VAT.U.A/D(T)-2006-140672

(एल०एम०पन्त)

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड ।

पु०प०संख्या 1013 व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. कमिश्नर बिक्रीकर/वाणिज्य कर, आन्ध्र प्रदेश/ तमिलनाडु/केरला/कर्नाटक/महाराष्ट्र/ गुजरात/राजस्थान/झारखण्ड/छत्तीसगढ़/पश्चिमी-बंगाल/बिहार-पटना/उत्तरप्रदेश-लखनऊ/ उड़ीसा/केटक/पंजाब/हरियाणा-चंडीगढ़/हिमान्चलप्रदेश-शिमला/आसाम-गोहाटी/सिक्किम-गंगटोक/मणीपुर-इम्फाल/नागालैंड-दीमापुर/अरुणाचलप्रदेश-इटानगर/त्रिपुरा-अगरतला/मिजोरम-एजवाल/मेघालय-सिलोंग/गोआ-पनजी/न्यूदिल्ली/पांडिचेरी/मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ ।
2. उप निदेशक, राजकीय लिथो प्रेस, रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि इसे अगले अगले गजट में प्रकाशित कराते हुए इसकी 50 प्रतियाँ कार्यालय आयुक्त कर उत्तराखण्ड, 405, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्राप्त कराने का कष्ट करें ।
3. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन देहरादून/कुमायू जोन रुद्रपुर ।
4. ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि.अनु.शा./प्रवर्तन) वाणिज्य कर, गढ़वाल जोन हरिद्वार/कुमायू जोन रुद्रपुर
5. ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ कर निर्धारण अधिकारियों को इसके सम्बन्ध में सूचित करें ।

आयुक्त कर 26/6/2008

उत्तराखण्ड, देहरादून ।